



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2070]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 15, 2012/आश्विन 23, 1934

No. 2070]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2012/ASVINA 23, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2012

का.आ. 2501(अ).—यतः मै. अदानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (पूर्वतः - मै. मुन्द्रा पोर्ट एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड), जो गुजरात राज्य में ग्राम ध्रुव, तालुका मुन्द्रा, जिला कच्छ में एक बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 28 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 631(अ) में 1840 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया;

और, यतः, केन्द्र सरकार ने आदेश संख्या एफ. 1/15/2011-एसईजेड दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 द्वारा उक्त विशिष्ट आर्थिक जोन की स्थापना हेतु दिया गया अनुमोदन पत्र रद्द कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के अनुसरण में केन्द्र सरकार उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त करती है। सिवाय उन चीजों के जो ऐसे निरसन के पूर्व कारित की गई हैं या कारित किए जाने से निवारित की गई हैं।

[फा. सं. एफ. 1/15/2011-एसईजेड]

3943 GI/2012

सुमन्ता चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2012

S.O. 2501(E).—Whereas, M/s. Adani Ports and Special Economic Zone Limited (Formerly, Mundra Port and Special Economic Zone Limited) had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a multi product Special Economic Zone at Village Dhruv, Taluka Mundra, District Kutch in the State of Gujarat;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 1840 hectares at above location as Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 631(E) dated 28th March, 2012;

And, whereas, vide Order No. F.1/15/2011-SEZ dated 12th October, 2012 the Central Government has cancelled the formal approval granted for setting up of the above SEZ.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the Special Economic Zones Act, 2005 and the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No. F.1/15/2011-SEZ]

SUMANTA CHAUDHURI, Jt. Secy.